

क्रमांक: अध्यक्ष (डिस्कॉम्स)/एमआईएस/पत्रा. /प्रे. 160

जयपुर, दिनांक 29.09.2014

## कार्यालय आदेश

गत वर्षों में खराब फीडर मीटरों को समय पर न बदले जाने व नये 33 केवी सब-स्टेशन बडी संख्या में बिना फीडर मीटरों के स्थापित किये जाने व कन्जूमर इण्डेक्सिंग कार्यों का समय पर अपडेशन न किये जाने से फीडरवार विद्युत छीजत की गणना नहीं की जा रही है। मार्च, 2014 से "सब-स्टेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम" लागू कर पुनः फीडरवार बिजली की छीजत का तकनीकी रूप से सही आंकलन करने हेतु खराब फीडर मीटर बदले जा रहे हैं एवं जहां पर फीडर मीटर स्थापित नहीं किये हुये हैं, उन फीडरों पर नये फीडर मीटर लगाये जा रहे हैं। संभागीय मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे तुरन्त प्रभाव से फीडरवार विद्युत की छीजत की गणना किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निम्न कार्यवाही करावें :-

1. ऐसे 11 केवी फीडर जिनके मीटर क्रियाशील हैं, उन फीडरों की कन्जूमर इण्डेक्सिंग का कार्य 31 अक्टूबर, 2014 तक आवश्यक रूप से कराते हुये, बिलिंग के डाटाबेस में इंद्राज करा कर माह नवम्बर, 2014 से इन फीडरों की विद्युत छीजत की गणना करावें।
2. ऐसे 11 केवी फीडर जिन पर फीडर मीटर लगाये जा रहे हैं, उन फीडरों की कन्जूमर इण्डेक्सिंग का कार्य इस प्रकार किया जावे कि उनकी विद्युत छीजत की गणना आगामी दूसरे माह में उपलब्ध हो सके।
3. पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप "सब-स्टेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम" के समस्त कार्य मार्च, 2015 तक पूरे करने के साथ ही कन्जूमर इण्डेक्सिंग व बिलिंग सिस्टम में डेटा की पूर्ति निर्धारित समय सीमा में संभागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. संबंधित वृत के लेखाधिकारी व निगम स्तर पर मुख्य लेखाधिकारी व अधीक्षण अभियन्ता (आईटी) कन्जूमर इण्डेक्सिंग के डेटा बिलिंग एजेंसी में प्राप्त होने पर तीन दिवस में बिलिंग सिस्टम में फीड कराने व फीडरवार उपभोक्ताओं की विद्युत खपत की सूचना बिलिंग एजेन्सी द्वारा उपखण्ड स्तर तक मासिक रिपोर्ट के साथ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

